अनुसूचि 14 फार्म सं0–162

न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

महेश्वर पहाडिया
बनाम
16 आना रैयत
मौजा–मांसबेडा, न0–52

आदेष–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख..जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 24 / 2019–20

आदेशकी कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और तार्र सहित
1	2	3
30-7-19	अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 492/रा0 दिनांक 24.07.2019 के द्वारा मौजा– मांसबेड़ा, न0–52 के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन के साथ मौजा– मांसबेड़ा, न0–52 में दिनांक 17.07.2019 को श्री चामा पहाडिया के अध्यक्षता में मौजा के 16 आना रैयतों के उपस्थिति में प्रधान बहाली से संबंधित ग्राम सभा की गई। जिसकी प्रति संलग्न। ग्राम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से श्री महेश्वर पहाडिया, पिता–स्व0 रामा पहाडिया, ग्राम–मांसबेड़ा को मौजा– मांसबेड़ा, न0–52 में प्रधान के रुप में चाहते है तथा प्रधान बहाल होने का प्रस्ताव रखा। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा– मांसबेड़ा, न0–52 एक प्रधानी मौजा है। मौजा के ग्राम प्रधान नियुक्ति हेतु एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री महेश्वर पहाडिया, पिता–स्व0 रामा पहाडिया, ग्राम–मांसभीठा, थाना–तालझारी, जिला–साहेबगंज को प्रधान के रुप में चयन किया गया है। श्री महेश्वर पहाडिया खतियानी रैयत के परपोता है। पूर्व से ही ग्राम में होने वाले किसी भी सार्वजनिक जन हित कार्यो में बड़–चड़ कर हिस्सा लेकर सम्पादन करते है। अतएव श्री महेश्वर पहाडिया प्रधान बनने योग्य व्यक्ति है। अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में आवेदक श्री महेश्वर पहाडिया को मौजा– मांसबेड़ा, थाना न0–52 में सथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।	ज्ञापांक 344/अ0 दिनांक 1-8-19